

प्रह्न सं. [क. 704]
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड नं. 03 भोपाल 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स.4/2024/

3066

भोपाल, दिनांक:- 6/9/24

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय:- UDID प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु कैम्प लगाये जाने के संबंध में ।
संदर्भ :- म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक 1460/17298933/2023/26-2 दिनांक 06.08.2024.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें माननीय मंत्रीजी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार दिव्यांगजनों को जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगजनों के लिये दिव्यांगता प्रमाण एवं यू.डी.आई.डी बनाने जाने के प्रक्रिया संचालन की जा रही है । प्रदेश के ग्रामीण एवं ब्लॉक स्तर पर निवासरत दिव्यांगजनों को जिला स्तर पर प्रमाण बनाने के लिये दूरी अधिक होने से इन्हें आवागमन में कौफी असुविधा होती है ।

उपरोक्त के क्रम में उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए दिव्यांगजनो की दिव्यांगता प्रमाण-पत्र(यू.डी.आई.डी) बनाये जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण के लिए वर्तमान प्रक्रिया के साथ-साथ प्रदेश के प्रत्येक जिलों की तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सुविधानुसार किसी भी संस्था में सप्ताह में एक दिवस कैम्प का आयोजित कर, दिव्यांग प्रमाण-पत्र(यू.डी.आई.डी) बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने कष्ट करें । ताकि कोई भी पात्र दिव्यांगजन भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजनों के हित में संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(डॉ.राम राव भोसले)

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.

पृ.क्र./दि.स.4/2024/

3067

भोपाल, दिनांक:- 6/9/24

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की और सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र. की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.

6/9/24